कृषि निदेशालय, बिहार, पटना
उर्वरक कोषांग

पत्र संख्या– उ0को0/अनु0 – 16/2009(खंड–1) 640 /कृ0, पटना, दिनांक 1· 6·, 2016

प्रेषक,

बी0 कार्तिकेय भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मे0 हिमालय एग्रो केमिकल्स प्रा0 लि0,
रानीगंज रोड, फॉरबिस गंज, अररिया,
पिन– 854318, बिहार।
2. युनिट–2, N.H.-31
बाई पास रोड, जिला– पुर्णिया, बिहार।

विषय : जैव **उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र एवं आवश्यक शर्तो के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के प्रसंग में कहना है कि आपके उर्वरक विनिर्माण पंजीकरण प्रमाण पत्र सं० **129 (R)** दिनांक 15.05.2013 वैधता तिथि 12.03.2016 को दिनांक **11.03.2019** तक नवीकृत किया जाता है। इस संदर्भ में निम्न निदेश दिए जाते है :–

1 उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की सभी धाराओं का आप पूरा–पूरा पालन करेंगे।

2. उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत घोषित उर्वरक निरीक्षक समय–समय पर उर्वरक के नमूने जाँच हेतु लेंगे तथा आपके प्रतिष्ठान की प्रयोगशाला सुविधा एवं आपके द्वारा संधारित अभिलेखों की जाँच करेंगे।

2. आपके बफर गोदाम का भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी संबंधित जिला के जिला कृषि पदाधिकारी से प्रमाणित एवं सत्यापित होना चाहिए।

3. भंडार पंजी उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 में दिए गए प्रपत्र N के अनुरूप संधारित किया जाएगा।

4. राज्य सरकार के द्वारा निर्गत पत्रांक 4806 दिनांक 29.10.2013 जिसकी प्रति इस पत्र के साथ संलग्न है, का अनुपालन करंना सुनिश्चित करें।

5. यदि किसी कारणवश विनिर्माण कार्य बंद किया जाता है तो इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी तथा कृषि निदेशक, बिहार को अविलंब दिया जाय। इसी प्रकार विनिर्माण कार्य प्रारम्भ करने की भी सूचना अविलंब दोनो पदाधिकारी को पूर्व में ही दी जाय।

6. प्रत्येक माह के 10 तारीख को विनिर्माण एवं विपणन संबंधी प्रातिवेदन कृषि निदेशक, बिहार एवं संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा।

7. यदि स्थल जाँच प्रतिवेदन प्रतिकूल पाया गया तो उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत आपके विरूद्ध कार्रवाई की जायगी।

8. उपरोक्त किसी भी प्रावधान का उल्लंघन करने पर विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र निलंबित/रद्द किया जा सकेगा एवं इस आधार पर विनिर्माण प्रमाण पत्र एवं विपणन प्राधिकार पत्र का नवीकरण भी अस्वीकृत किया जा सकता है।

9 . आप ट्रायल उत्पान कर इसकी सूचना जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया को देंगे।

विश्वासभाजन

(बी0 कार्तिकेय)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

Soft file regd. vide: HAC-CEO-DOC|16|063|02 > Pg. 1of2
Original in: C-FILE|09|0009

सत्यमेव जयते

EMBLEM

FORM 'F'

[See clause 15(2) and 18 (2)]

Sl. No. : 302

Book No. : V

Certificate No. 129 (R)

Date of Issue 24.10.2011

Valid up to 12.3.2013

Certificate of Manufacture in Respect of Physical/Granulated Mixture/Organic Fertilizer/Bio-Fertilizer

M/S Himalaya Agro Chemicals Pvt. Ltd. Ranigenj Road Forbesganj Araria (Name of Manufacturer) is hereby given the certificate for manufacture of the physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer specified below subject to the terms and conditions of this certificate and to the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985.

Full Particulars of the granulated/physical mixture of fertilizers. organic fertilizer/bio fertilizer

Date : Bihar Grade NPK Mixture
1. 18:18:06
2. 12:12:12
3. 15:15:7.5

Seal :

(Specification as per notification no - 617 dated 4.5.2010)

Full address of the premises where the mixture of fertilizer or mixture of micronutrient fertilizers. Fertilizer/bio fertilizer will be made.

1. Raniganj Road, Forbesganj Araria, Pincode - 854 318, Bihar
2. NH 31, Bye Pass Road, Purnia, Bihar

Registering Authority :

State : Bihar

Renewed up to: 11.3.2019

Date :

Registering Authority :

Seal :

State : Bihar

DIRECTOR OF AGRICULTURE CUM REGISTERING AUTHORITY, GOVT OF BIHAR PATNA

HAC-CFO-DOC|15|068|02 > Pg. 2 of 2

Terms and conditions of this certificate

(1) The holder of this certificate shall display the original thereof in a conspicuous place open to the public in a part of the principal's premises in which business of making the physical/ granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer is carried on and also a copy of such certificate in similar manner in every other premises in which that business is carried on. The required number of copies of the certificate shall be obtained on payment of the fees thereof.

(2) The holder of this certificate shall not keep in the premises in which he carries on the business of making physical/granulated mixture of bio fertilizers/organic fertilizer in respect of which a certificate of registration has not been obtained under the Fertilizer (Control) Order, 1985.

(3) The holder of this certificate shall comply with the provisions of the Fertilizer (Control) Order, 1985 and the notification, order and direction. issued there-under for the time being in force.

(4) The holder of the certificate shall report forth with to the Registering Authority any emerge in the premises specified in the certificate or any new premises in which carried on the business of making physical/granulated mixture/organic fertilizer/bio fertilizer and shall produced before the authority the original certificate and copies thereof show that necessary correction may be made therein by that authority.

(5) The holder of the certificate shall insure that the physical/granulated mixture/ organic fertilizer/ bio fertilizer in respect of which a certificate of registration has been obtained his prepared by him or by a person having such qualification as may be prescribed by the State Government from time to time or by any other person under the direction, supervision and control of the holder or the person having the said qualifications.